शीर्ष प्राथमिकता/तत्काल

संख्या-2/2018/82-भा0स0/60-1-18-1/13(47)18

प्रेषक,

जय प्रकाश सगर,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिला अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

महिला कल्याण एवं बाल विकास अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 17 अप्रैल, 2018

विषय-: अक्षय तृतीया पर्व पर बाल विवाह रोके जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि रूढिवादी परम्परा के कारण समाज में कतिपय लोग/समुदाय अपने लड़के-लड़कियों का बाल-विवाह कर देते हैं। प्राय: इस प्रकार के विवाह "अक्षय तृतीया" (आखा तीज) जैसे अवसर पर सम्पन्न होते है।

2- बाल विवाह जैसी कुप्रथा को बाल विवाह (प्रतिषेध) अधिनियम, 2006 में दिये गये उपबन्धों के अनुसार रोका जाना अनिवार्य है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी बालिका जिसने अपनी आयु 18 वर्ष पूर्ण न की हो एवं किसी भी बालक/युवा जिसने अपनी आयु 21 वर्ष पूर्ण न की हो का विवाह कराया जाना अवैध है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस वर्ष अक्षय तृतीया दिनांक 18.04.2018 को पड़ रही है। अत: इस संबंध में यह आवश्यक है कि जिला स्तर पर शिक्षा/स्वास्थ्य/ग्राम्य विकास/स्थानीय प्रशासन/स्वयं सेवी संस्थाओं आदि के सहयोग से इस कुरीति को समाप्त करने का प्रयास किया जाये।

भवदीय,

(जय प्रकाश सगर)
सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-82-भा0स0(1)/60-1-18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य महिला आयोग, मानवाधिकार भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।

4- उ0प्र0 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 14-बी, माल एवेन्यू, लखनऊ, उ0प्र0।

5- सचिव, महिला एवं बाल विकास, मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्र संख्या-डी0ओ0नं0.11/1/2015-सी0एम0, दिनांक 10.04.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

6- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारियों/जिला परिवीक्षा अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।